राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ3(ख)एस–1221/2013/अलेसे–III/1189 दिनांक :– 08.01.2024

कार्यालय आदेश

श्री सुनील कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं. 11172) कार्यालय कुलसचिव, महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को निम्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	नाम परीक्षा	सत्र/वर्ष	आयोजक संस्था
1	नेट	दिसम्बर, 2023	एनटीए
2	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (दूरस्थ शिक्षा)	2023–24	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निररत की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ3(ख)एस–1221/2013/अलेसे–III/1189 दिनांक :– 08.01.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय ....।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक .... ।

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)